न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1034 / 2024

अनवान : –

1. अमीचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भींवाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पत्रु श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 09/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 137 / 52 की कुल 9.8340 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3, खाता स0 53 / 55 की कुल 10.0487 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1, खाता स0 135 / 52 की कुल 9.8348 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व खाता स0 52 / 55 की कुल 9.8347 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने खाता व लगान अलग अलग करवा लिया था। परन्तु नक्शा व भौतिक स्थिति व काश्त के अनुसार वाद भूमि अलग दर्ज नही हुई है व वादी व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर जिस तरह से काबिज है उसी अनुसार वाद भूमि अलग दर्ज नही हुई है एव वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जिस तरह से काबिज है उसकी अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त भूमि मौका पर काबिज अनुसार वाद भूमि खसरा में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है जो कि निम्न प्रकार से है–

1. वादी के पास– रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52 / 55 के ख0न0 221 / 13 की 4.8380 हैक्ट, ख0न0 217 / 12 की 3.2517 हैक्ट, ख0न0 225 / 171 की 1. 2650 हैक्ट भूमि रहेगी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के पासः– रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 53 / 55 के ख0न0 53 / 55 के ख0न0 228 / 12 की 2.0000 हैक्ट भूमि, ख0न0 222 / 13 की 3. 7867 हैक्ट भूमि, ख0न0 137 / 1 की 4.2620 हैक्ट भूमि रहेगी।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के पास– रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 138 / 52 के ख0न0 223 / 13 की 3.8553 हैक्ट, ख0न0 219 / 12 की 3.4395, ख0न0 228 / 6 की 0.795 हैक्ट, ख0न0 226 / 171 की 1.7450 हैक्ट भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4. प्रतिवादी संख्या 3 के पास– रोही मोजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 137/52 के ख0न0 220/12 की 4.8128 हैक्ट भूमि, ख0न0 229/6 की 3.277 हैक्ट, ख0न0 227/171 की 1.7450 हैक्ट भूमि रहेगी।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि मुताबिक बाहमी बंटवारा वाद भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की मुताबिक बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने खाता व लगान अलग अलग करवा लिया था। परन्तु नक्शा व भौतिक स्थिति व काश्त के अनुसार वाद भूमि अलग दर्ज नही हुई है व वादी व प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर जिस तरह से काबिज है उसी अनुसार वाद भूमि अलग दर्ज नही हुई है एव वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर जिस तरह से काबिज है उसकी अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 137/52 की कुल 9.834[illegible] हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3, खाता स0 53/55 की कुल 10.0487 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1, खाता स0 135/52 की कुल 9.8348 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व खाता स0 52/55 की कुल 9.8347 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजीनामा ही पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52/55 के ख0न0 221/13 की 4.8380 हैक्ट, ख0न0 217/12 की 3.2517 हैक्ट, ख0न0 225/171 की 1.2650 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 53/55 के ख0न0 53/55 के ख0न0 228/12 की 2.0000 हैक्ट भूमि, ख0न0 222/13 की 3.7867 हैक्ट भूमि, ख0न0 137/1 की 4.2620 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 138/52 के ख0न0 223/13 की 3.8553 हैक्ट, ख0न0 219/12 की 3.4395, ख0न0 228/6 की 0.795 हैक्ट, ख0न0 226/171 की 1.7450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मोजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 137/52 के ख0न0 220/12 की 4.8128 हैक्ट भूमि, ख0न0 229/6 की 3.277 हैक्ट, ख0न0 227/171 की 1.7450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:25 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1034 / 2024
अनवान : –

1. अमीचन्द पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. भींवाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
2. इन्द्राज पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
3. रामस्वरूप पत्रु श्योलाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1034 सन 2024 निर्णय दिनांक 09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 52 / 55 के ख0न0 221 / 13 की 4.8380 हैक्ट, ख0न0 217 / 12 की 3.2517 हैक्ट, ख0न0 225 / 171 की 1.2650 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 53 / 55 के ख0न0 53 / 55 के ख0न0 228 / 12 की 2.0000 हैक्ट भूमि, ख0न0 222 / 13 की 3.7867 हैक्ट भूमि, ख0न0 137 / 1 की 4.2620 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 138 / 52 के ख0न0 223 / 13 की 3.8553 हैक्ट, ख0न0 219 / 12 की 3.4395, ख0न0 228 / 6 की 0.795 हैक्ट, ख0न0 226 / 171 की 1.7450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मोजा गिराजसर तहसील नोहर के खाता स0 137 / 52 के ख0न0 220 / 12 की 4.8128 हैक्ट भूमि, ख0न0 229 / 6 की 3.277 हैक्ट, ख0न0 227 / 171 की 1.7450 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.18 15:42:25 IST
Reason: SelfAttested